


11

रिज्यू 1027-II/15

मेपल

स्थान तथा दिनांक	आदेश का विवरण	पक्षकारों एवं पभिभाव आदि के नाम
11-5-15	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं श्री राजेश त्रिपाठी उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 1007-पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 08.5.15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि इस प्रकरण में विवाद केवल आवेदक एवं शासन के मध्य है, अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 का कोई हित प्रकरण में नहीं है। अतः उनको प्रकरण में संयोजित करने संबंधी आदेश त्रुटिपूर्ण है, और प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 को पक्षकार के रूप में संयोजित कर प्रकरण का निराकरण करें। जो दस्तावेज एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति निगरानी मेमो के साथ अनावेदक क्र. 2 लगायत 4 की ओर से पेश की गई हैं, उनमें उनका नाम पक्षकार के रूप में संयोजित है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह पुनरावलोकन आवेदन अग्रहय किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">             सदस्य         </p>	



समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

दि. 1027-II-15

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2015

श्यामनाथ शर्मा आयु लगभग 44 वर्ष,  
आत्मज श्री एस.एन. शर्मा  
निवासी ई-5/137, अरेरा कालोनी,  
भोपाल

आवेदक

.....  
विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन,  
द्वारा कलेक्टर भोपाल
2. राजेश वाघवानी आत्मज स्व. श्री बी.जी. वाघवानी,  
निवासी सी-321, शाहपुरा,  
भोपाल
3. श्रीमति पुष्पा तिवारी पत्नी स्व. श्री शंभुलाल तिवारी  
निवासी ई-107, शिवाजी नगर  
भोपाल
4. संजय पालीवाल आत्मज श्री महेन्द्र पालीवाल,  
निवासी - सीहोर (म.प्र.)  
द्वारा मुख्तारआम- श्रीमति दिशा वाघवानी,  
पत्नी श्री राजेश वाघवानी  
निवासी सी-321, शाहपुरा भोपाल

.....  
अनावेदकगण

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता  
विरुद्ध आदेश दिनांक 8.5.2015 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक  
निगरानी /1007-पी.बी.आर./2015 पारित द्वारा माननीय  
सदस्य महोदय, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल पक्षकारगण  
राजेश वाघवानी व अन्य विरुद्ध श्यामनाथ शर्मा एवं अन्य।

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

अ. यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक दो  
लगायत चार द्वारा एक निगरानी प्रकरण माननीय महोदय के समक्ष माननीय आयुक्त  
..... /2015 /13-14 मे